

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 114/2016

बउनवान

कस्तूरीबाई आयु 75 साल पत्नि श्री बंजरगलाल जाति—काछी नि०—सुसावन
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांटा)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक

(अपीलांटा)

2. पेरोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

3. सदस्य बेंच

राजस्व लोक अदालत निर्णय दिनांक 31.5.2018



अपीलांटा ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के दिनांक 12.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सुसावन, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 165/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांटा को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांटा का कोई कब्जा नहीं है वर्तमान में भूमि खाली पड़ी हुई है। बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर राजस्व लोक अदालत में बेंच सदस्य की उपस्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांटा का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया

82
जिला कलक्टर
बारां (राब०)

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा के विरुद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः लोक अदालत की भावना से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांटा के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांटा विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1499/12 निर्णय दिनांक 06.12.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटा को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांटा का कथन है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांटा के प्रति लोक अदालत की भावना को दृष्टिगत रखते हुये, सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलांटा की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 891/14 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांटा विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ०एस.पी.सिंह)

जिला कलक्टर, बारां

बारां (राज.)